भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1157
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी के अंतर्गत फर्जी लाभार्थी

1157. श्री बैन्नी बेहननः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने पूरे देश के आंगनवाड़ियों में पंजीकृत फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने हेतु कोई तंत्र बनाया है; और
(घ) यदि हां, तो विशेषकर केरल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख) : जी, हां । सरकार द्वारा 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं । पिछले वर्षों के दौरान क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ी है, जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

वर्ष	क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
31.03.2014	13,42,146
31.03.2015	13,46,186
31.03.2016	13,49,563
31.03.2017	13,54,792
31.03.2018	13,63,021
31.03.2019	13,72,872

(ग) और (घ) : आधार के आधार पर आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के तहत लाभार्थियों की पहचान की जाती है, जिसका प्रयोग सेवाएं या लाभ प्रदान करने के लिए पहचान के दस्तावेज के रूप में किया जाता है, जो पारदर्शिता एवं दक्षता लाता है एवं लाभार्थियों को अपने हक प्राप्त करने में समर्थ बनाता है ।

जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं हैं, आधार कार्ड प्राप्त करने में उनकी सहायता फील्ड पदाधिकारियों द्वारा की जाती है । आधार कार्ड प्राप्त करने तक उनको पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर आंगनवाड़ी सेवाएं प्रदान की जाती हैं । यह फर्जी लाभार्थियों, यदि कोई हों, के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है और यह एक सतत प्रक्रिया है । यह केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है ।

*****